

आदवासी वन अधिकार

प्रलमिस के लयि:

सामुदायकि वन संसाधन, वन अधिकार अधनियम, आरकषति वन, संरकषति वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ।

मेन्स के लयि:

वन अधिकार अधनियम, सामुदायकि वन संसाधन अधिकार और मान्यता का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के करपिनी और बुदरा गाँवों के नवासियों ने 100 एकड़ में बड़े पैमाने पर सनीकरण अभियान चलाया, क्योंकि यह ग्रामीणों का अपनी वन भूमि पर अधिकार सुरकषति करने का अंतिम प्रयास था ।

- राज्य के संरकषति कषेत्रों के 10 गाँवों को 9 अगस्त, 2022 को मनाए गए [आदवासी दविस](#) पर सामुदायकि वन संसाधन अधिकार (CFRR) प्रदान कया गया, लेकिन करपिनी और बुदरा को ये अधिकार नहीं प्राप्त हुए हैं ।

सामुदायकि वन संसाधन अधिकार:

- [अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरिक वन नवासी \(वन अधिकारों की मान्यता\) अधनियम \(आमतौर पर वन अधिकार अधनियम या FRA के रूप में संदर्भति\), 2006](#) की धारा 3 (1)(i) के तहत सामुदायकि वन संसाधन अधिकार सामुदायकि वन संसाधनों को "संरकषण, पुनः उत्पन्न या संरकषति या प्रबंधति" करने के अधिकार की मान्यता प्रदान करते हैं ।
- ये अधिकार समुदाय को वनों के उपयोग के लयि स्वयं और दूसरों के लयि नयिम बनाने की अनुमति देते हैं तथा इस तरह FRA की धारा 5 के तहत वे अपनी जमिंदारियों का नरिवहन करते हैं ।
- CFR अधिकार, धारा 3(1)(b) और 3(1)(c) के तहत सामुदायकि अधिकारों (CR) के साथ,** जसिमें नसितार अधिकार (रयिासतों या जमींदारी आर्दा में पूरव उपयोग कयि जाने वाले) और गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार शामिल हैं, समुदाय की स्थायी आजीविका सुनश्चति करते हैं ।
- एक बार जब CFRR को कसी समुदाय के लयि मान्यता दी जाती है, तो वन का स्वामतित्त्व वन वभाग के बजाय ग्राम सभा के नयित्रण में आ जाता है ।**
- प्रभावी रूप से [ग्राम सभा](#) वनों के प्रबंधन के लयि नोडल नकिया बन जाती है ।
- ये अधिकार ग्राम सभा को सामुदायकि वन संसाधन सीमा के भीतर वन संरकषण और प्रबंधन की स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने का अधिकार देते हैं ।
- छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जसिने राष्ट्रीय उद्यान यानी [कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान](#) के अंदर CFRR अधिकारों को मान्यता दी है ।
- वर्ष 2016 में ओडशा सरकार ने सर्वपरथम, [समिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान](#) के अंदर सामुदायकि वन संसाधनों (CFR) को मान्यता प्रदान की थी ।

वन अधिकार अधनियम, 2006:

- यह वन में नवासि करने वाली अनुसूचति जनजातियों (FDST) और अन्य पारंपरिक वनवासी (OTFD) जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में नवासि कर रहे हैं, को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है ।
- कसी भी ऐसे सदस्य या समुदाय द्वारा वन अधिकारों का दावा कया जा सकता है, जो दसिंबर 2005 के 13वें दिन से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) के लयि मुख्य रूप से वन भूमि में वास्तवकि आजीविका की जरूरतों हेतु नवासि करता है ।
- यह FDST और OTFD की आजीविका तथा खादय सुरकषा सुनश्चति करते हुए वनों के संरकषण की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है ।
- ग्राम सभा को **व्यक्तगित वन अधिकार (IFR) या सामुदायकि वन अधिकार (CFR)** या दोनों को कडि FDST और OTFD को दयि जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा नरिधारति करने हेतु प्रकरया शुरू करने का अधिकार है ।
- इस अधनियम के तहत चार प्रकार के अधिकार हैं:**

- **स्वामित्व अधिकार:** यह FDST और OTFD को अधिकतम 4 हेक्टेयर भू-क्षेत्र पर आदवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिये है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है, इसके अलावा कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी।
 - **उपयोग करने का अधिकार:** वन नवासियों के अधिकारों का वस्तुतः **लघु वनोत्पाद**, चराई क्षेत्रों आदितिक है।
 - **राहत और विकास से संबंधित अधिकार:** वन संरक्षण के लिये प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली या जबरन वसिस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पुनर्वास का अधिकार शामिल है।
 - **वन प्रबंधन अधिकार:** इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनः उत्थान या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है, जसि वन नवासियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- पंचायती राज मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- जनजातीय मामलों का मंत्रालय

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जसि वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के रूप में भी जाना जाता है, वन संसाधनों पर वहाँ रहने वाले आदवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है।
- अधिनियम में खेती और नवास जो आमतौर पर व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में होते हैं और सामुदायिक अधिकार जैसे चराई, मछली पकड़ना एवं जंगलों में जल नकियों तक पहुँच, वशिष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs) के लिये आवास अधिकार आदि अधिकार शामिल हैं।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और नपिटान अधिनियम, 2013 में उचित मुआवज़े एवं पारदर्शिता के अधिकार के संयोजन के साथ FRA आदवासी आबादी को पुनर्वास तथा उनके लिये उचित बंदोबस्त के बनिा बेदखली से रक्षा करता है।
- **जनजातीय मामलों के मंत्रालय** के तहत अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नयिमों के अनुसार वभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं को लागू किया जाता है।

अतः विकल्प (d) सही है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ